न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 186/2023 **सी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/250**
दायर दिनांक :- 14.12.2023 **निर्णय दिनांक :- 17.02.2025**

1. आचीदेवी पत्नी उदाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. धनाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. पिथाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—वादी

बनाम

1. गंगाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. लाली पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली
3. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रति. संख्या 1

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम चिमाणा पटवार क्षेत्र चिमाणा तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 51 रकबा 5.7627 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 2 ता 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता विजय तंवर ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनकर ग्राम चिमाणा पटवार क्षेत्र चिमाणा तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 51 रकबा 5.7627 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार घंटियाली द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

17/2/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिकी जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिकी अनुसार तैयार कर तहसीलदार, घंटियाली द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार घंटियाली द्वारा राजस्व ग्राम चिमाणा पटवार क्षेत्र चिमाणा तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 51 रकबा 5.7627 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	आसी देवी पत्नी उदाराम 1/3 हि. धनाराम पुत्र उदाराम 1/3 हि. पिथाराम पुत्र उदाराम 1/3 हि. जाति जाट सा.देह खातेदार। रहन यूको बैंक शाखा घंटियाली पिथाराम का हिस्सा।	चिमाणा	51	4.0185 हैक्टेयर	बारानी–3
2	गंगाराम पुत्र उदाराम 331/431 हि. लाली पत्नी गंगाराम 100/431 हि. जाति जाट सा. देह खातेदार। रहन यूको बैंक शाखा घंटियाली लाली का हिस्सा।	चिमाणा	51	1.7442 हैक्टेयर	बारानी–3

तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

...डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी
पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. आसीदेवी पत्नी उदाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. धनाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. पिथाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—वादी

बनाम

1. गंगाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. लाली पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 186/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर ओमप्रकाश गोदारा मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम चिमाणा पटवार क्षेत्र चिमाणा तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 51 रकबा 5.7627 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :—

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	आसी देवी पत्नी उदाराम 1/3 हि. धनाराम पुत्र उदाराम 1/3 हि. पिथाराम पुत्र उदाराम 1/3 हि. जाति जाट सा.देह खातेदार। रहन यूको बैंक शाखा घंटियाली पिथाराम का हिस्सा।	चिमाणा	51	4.0185 हैक्टेयर	बारानी—3
2	गंगाराम पुत्र उदाराम 331/431 हि. लाली पत्नी गंगाराम 100/431 हि. जाति जाट सा. देह खातेदार। रहन यूको बैंक शाखा घंटियाली लाली का हिस्सा।	चिमाणा	51	1.7442 हैक्टेयर	बारानी—3

तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग—अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.02.2025 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।